न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय म.प्र.राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

स्वप्रेरण निगरानी प्रकरण क्रमांक .... सन् 2015

निग -174-II-16

राजेन्द्र तिवारी तनय स्व. श्री मथुरा प्रसाद तिवारी उम्र 50 वर्ष

नि0-ग्राम बगौता तह0 व जिला छतरपुर म.प्र.------------**निगरानीकर्ता**

बनाम

शासन म.प्र. ----------------------- **गैरनिगरानीकर्ता**

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

स्वप्रेरणा निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.1959

महोदय,

1- यह कि भूमि खसरा नं. 2712/1 रकवा 1.181 है0 लगान 3.00 रूपये स्थित मौजा बगाता तह0 व जिला छतरपुर (म.प्र.) की भूमियों का पट्टा निगरानीकर्ता के चाचा स्वर्ग रामदास तनय मुन्नू ब्राहम्ण के राजस्व प्रकरण क्रमांक 45/अ-19/75-76 आ.दि. 20.7.1976 को 10 वर्षीय लीज पर वर्ष 1976-77 से वर्ष 1985-86 तक प्राप्त हुआ था जिस पर उसके चाचा अपने जीवनकाल में कृषि करके परिवार का भरण पोषण करते रहे तथा नियमित लगान भी अदा करते रहे बाद में उक्त अस्थायी पट्टो को भूस्वामी घोषित करने के आदेश जारी किया गया ।

2- यह कि इस प्रकार म.प्र.शासन राजस्व (शाखा-2ए) विभाग के ज्ञापन क्रमांक 16-1/84/सात/2ए भोपाल दिनांक 27 जून 1984 के अनुसार पूर्व मे जिन आबंटियों को अभी भी भूमि स्वामी तक प्राप्त प्राप्त नही हुये है - उनको भी पट्टे के आधीन क्षेत्र के लिये भू-स्वामी हक अविलंब प्रदान किये जावे । चाहे पट्टे की अवधि कितनी भी हो **(अवर सचिव बी.एम.कोसम म.प्र.शासन,राजस्व विभाग)**

:- परिपत्र का प्रभाव :-

अ- पूर्वगामी रखता है तथा राज्य शासन ने उन्हे भूस्वामी होना मान लिया है केवल प्रक्रिया शेष है इस कारण उन्हे मान्य टाईटिल प्राप्त होने से अधिकार प्राप्त है तथा सरकारी पट्टेदार की स्थिति मे भी उनकी बेदखली कार्यवाही नहीं की जा सकती ।

ब- भूस्वामी अधिकारों के अधीन उनकी लीज मान्य रहेगी एम.पी.एल.आर. सी.1959 की धारा में उनमे भूमि मे हक के संबंध में लागू होगी (धारा 158 संहिता देखिये)

स- पूर्व पट्टेधारियों के व्यक्तिगत रूप से भूमिस्वामी हक प्राप्त करने के लिये कोई पहल नहीं करना है - परिपत्र 27 जून 1984 के अनुसार उनकी स्थिति एवं स्वत्व भूमि स्वामी होना मान्य है। प्रक्रियात्मक कार्यवाही शासन को स्वयं पूरी करके पूर्व सभी पट्टेदारों की भूमि स्वामी हक पर प्रविष्टि सामान्य आदेश द्वारा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरारी 174–दो/2016 **जिला** –छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा आदि के हस्ताक्षर
18.01.16	आवेदक के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये । प्रकरण का अवलोकन किया । आवेदक द्वारा यह स्वमेव निगरानी इस आधार पर प्रस्तुत की है कि आवेदक के चाचा स्व0 रामदास तनय मन्नू ब्राम्हण के नाम से राजस्व प्रकरण कमांक 45/अ–19/75–76 में पारित आदेश दिनांक 20.7.76 के द्वारा ग्राम बगौता तहसील छतरपुर जिला छतरपुर स्थित भूमि खसरा स्थित भूमि खसरा कमांक 2712/1 ारकवा 1.181 हैक्टर का दस वर्षीय पटट्ा तहसीलदार छतरपुर द्वारा प्रदान किया गया था, जिसके आधार पर उसका नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज हो गया था। रामदास लाऔलाद फौत हो गये हैं। आवेदक रामदास का वैद्य वारिस है। उपरोक्त भूमि पर रामदास की मृत्यु होने के उपरांत आवेदक वारिसान के आधार पर काबिज होकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। आवेदक द्वारा अपने आवेदनपत्र के साथ वादग्रस्त भूमि का पटट्ा फार्म ''ई'' में एवं प्रारूप ख की तीन रूपया की स्त्रीद तथा उपकर संग्रह की रामदास के नाम की रसीद कमांक 21 दिनांकित 21.04.1978 प्रस्तुत की है। उपरोक्त भूमि के आवेदक द्वारा खसरा पांच साला वर्ष 1971–72 से 2008–09 तक की नकलें प्रस्तुत की हैं। जिनके अवलोकन से भी स्पष्ट होता है कि उपरोक्त भूमि रामदास के नाम से तहसीलदार द्वारा प्र0 क0 45/अ–19/75–76 में पारित आदेश दिनांक 20.7.75–76 के पालन में दर्ज 1989–90 तक दर्ज है। रामदास का	

नाम वर्ष 1989–90 में किस आधार पर किस सक्षम अधिकारी के आदेश से काटा गया है, यह खसरा में स्पष्ट नहीं है। वर्तमान खसरा वर्ष 2015–16 में भी उपरोक्त भूमि शासकीय दर्ज है। आवेदक द्वारा तहसीलदार को उपरोक्त खसरा में दुरूस्ती करने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, किन्तु दुरूस्ती नहीं की गई है, आवेदक के अधिवक्ता के तर्को का श्रवण करने के तथा निगरानी के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने से मैं आवेदक के इन तर्को से सहमत हूँ कि आवेदक के चाचा रामदास का नाम बगैर सक्षम अधिकारी के आदेश से पृथक किये गये हैं । वादग्रस्त भूमि म0प्र0 शासन के नाम दर्ज की गई है।

अतः यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि स्थित ग्राम बगौता तहसील छतरपुर जिला छतरपुर के खसरा क0 2712/1 रकवा 1.181 हैक्टेयर पर आवेदक राजेन्द्र का नाम भूमिस्वामी हक में दर्ज नाम दर्ज किया जावे । पक्षकार सूचित हों । राजस्व मण्डल का अभिलेख संचय हेतु अभिलेखागार में जमा किया जावे ।

सदस्य